



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 24.11.2023

1.थाना दादरी पुलिस द्वारा, ग्राम कैमराला में हुयी घटना से सम्बन्धित 04 अभियुक्त गिरफ्तार |

घटना क्रम का विवरण-- दिनांक 23.11.2023 को थाना दादरी क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम कैमराला प्रथम पक्ष के 1.अशोक पुत्र चतरसिंह 2.सतेन्द्र पुत्र चतरसिंह 3. बिजेन्द्र पुत्र चतरसिंह निवासीगण ग्राम कैमराला थाना दादरी गौतमबुद्धनगर द्वारा खेत में जुताई की जा रही थी जिसके विरोध में द्वितीय पक्ष के 1.संजय पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बोडाकी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर 2.वीर सिंह पुत्र रामरतन निवासी ग्राम रामगढ थाना दादरी गौतमबुद्धनगर 3. राजू पुत्र जयराम निवासी ग्राम रामगढ थाना दादरी गौतमबुद्धनगर व 10 से 15 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा एक राय होकर लाठी डन्डो, सरिया आदि से लैस होकर आपस में गाली गलौच करते हुए मारपीट शुरु कर दी एवं दोनो पक्षों ने एक-दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी थी जिसके सम्बन्ध में थाना दादरी पर मु0अ0सं0 627/2023 धारा 147/148/149/307/323/504/34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट बनाम अभियुक्तगण प्रथम पक्ष 01. अशोक पुत्र चतर सिंह 2. सतेन्द्र पुत्र चतरसिंह 3. बिजेन्द्र पुत्र चतरसिंह निवासीगण ग्राम कैमराला थाना दादरी गौतमबुद्धनगर व द्वितीय पक्ष 01.संजय पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बोडाकी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर 2. वीर सिंह पुत्र रामरतन निवासी ग्राम रामगढ थाना दादरी गौतमबुद्धनगर 3. राजू पुत्र जयराम निवासी ग्राम रामगढ थाना दादरी गौतमबुद्धनगर व 10 से 15 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 24.11.2023 को थाना दादरी पुलिस द्वारा थाना दादरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 627/2023 धारा 147/148/149/307/323/504/34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. अशोक पुत्र चतर सिंह , 2. बिजेन्द्र सिंह पुत्र चतर सिंह निवासीगण ग्राम कैमराला थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को कैमराला मार्ग से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त अशोक कुमार के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बरामद हुआ है जिसके सम्बन्ध में थाना दादरी पर मु0अ0सं0 628/2023 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण 1. राजू पुत्र जयराम 2. वीर सिंह पुत्र राम रतन निवासीगण ग्राम रामगढ थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर को शिव मन्दिर ग्राम रामगढ से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अशोक पुत्र श्री चतर सिंह निवासी ग्राम कैमराला थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर
2. बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री चतर सिंह निवासी ग्राम कैमराला थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर
3. राजू पुत्र श्री जयराम निवासी ग्राम रामगढ थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर
4. वीर सिंह पुत्र श्री राम रतन निवासी ग्राम रामगढ थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 627/2023 धारा 147/148/149/307/323/504/34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0 628/2023 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना दादरी बनाम अशोक उपरोक्त ।

बरामदगी का विवरण--

1. एक तमंचा 315 बोर (घटना में प्रयुक्त)
2. एक जिन्दा कारतूस 315 बोर (घटना में प्रयुक्त)
3. एक खोखा कारतूस 315 बोर (घटना में प्रयुक्त)
4. दो सरिया लोहा लम्बाई 5 बालिस्त (घटना में प्रयुक्त)

2.थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना क्रम का विवरण-- दिनांक 24.11.2023 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त मौ० आबिद पुत्र मौ० रियाजुद्दीन को थाना क्षेत्र के मोजर बीयर गोलचक्कर के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल रजि०नं० यूपी 86 ए.ए 0562 जिसपर फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई थी, बरामद की गई है। अभियुक्त का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. मौ० आबिद पुत्र मौ० रियाजुद्दीन निवासी लखीपुरा रोड़, श्यामनगर कॉलोनी, थाना लिसाडी गेट, जनपद मेरठ उम्र करीब 34 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु०अ०सं० 628/2023 धारा 414/482 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
2. मु०अ०सं० 525/2023 धारा 414/420/465 भादवि थाना लिसाडी गेट, जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरण--

1. फर्जी नम्बर प्लेट
2. मोटरसाइकिल रजि०नं० यूपी 86 ए.ए 0562 (चोरी की)